न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या – 27/2018 (अपील)

कैलाश बाई पुत्री टून्डा जाति बैरवा निवासी मवासा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 10.07.2006 मि0नं0 26/2006 सरकार बनाम कैलाश बाई कार्यवाही धारा 91 सपठित धारा 90ए भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति

1. श्री केसरीलाल बैरवा अभिभाषक अपीलाट
2. श्री वृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक –14.06.2022

1. अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मवासा स्थित अपीलांट गैर खातेदार के स्वयं के खाते की गैर खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 133 रकबा 0.74 हे0 को अकृषि कार्य ईंट भट्टा लगाकर उपयोग में लेने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 10.07.2006 से अपीलाट के विरूद्व लगान का 20 गुना तावान 480/– कायम कर भूमि सिवायचक दर्ज किया गया है ।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 23.02.2012 को पेश की गई, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलबी हेतु पत्राचार किया गया किन्तु सम्बन्धित पत्रावली नही भिजवाई जाकर पत्रांक/राजस्व ए/1830 दिनांक 7.9.2012 से यह लिख कर अवगत कराया है कि पत्रावली तलाश कराई गई उपलब्ध नहीं हो रही है किन्तु कई बार लिखने पर भी पत्रावली प्राप्त नही हुई । इस पर पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वकील अपीलान्ट एव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अदालत मातहत में इस आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का मवासा द्वारा पेश की है कि अपीलान्ट ने ग्राम मवासा तहसील लाडपुा की खसरा नं. 133 की 0.74 हे0 भूमि में ईंट भट्टा लगा कर अतिक्रमण कर लिया है । अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमी के आरोप में लगान का 20 गुना तावान 480/– कायम कर दिया तथा कृषि भूमि को अकृषि में लेने पर सिवायचक घोषित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से उक्त भूमि को कृषि से अकृषि उपयोग में लेना मानकर उक्त अपीलान्ट की गैर खातेदारी की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व नोटिस की तामील करवाये बिना मात्र कयास के आधार पर एक तरफा कार्यवाही करते हुए हुक्म जेर अपील पारित किया है जो खारिज योग्य है । अपीलान्ट द्वारा कभी भी ईंट भट्टा नहीं लगाया गया है बल्कि हमेशा से काश्त करती चली आ रही है, पटवारी हल्का ने वेमनस्यता रखते हुये गलत रिपोर्ट पेश की है जिस पर विश्वास कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में त्रुटि की है । उक्त आदेश अपीलान्टा की अनुपस्थिति में जारी किया है जिसकी प्रथम जानकारी 18.01.2012 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर की उसकी भूमि सिवायचक दर्ज हो गयी कहने पर हुआ जिस पर दिनांक 24.01.2012 को नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 10.7.2006 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें तथा उक्त भूमि पुनः सिवायचक से अपीलान्टा के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि मौका स्थिति अनुसार पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई है तद्नुसार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आदेश पारित किया गया है । अपीलांट द्वारा नियमित काश्त की जा रही है तो रिकॉर्ड प्रस्तुत कर फसल काश्त करना साबित करें । दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपील खारिज फरमायी जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 10.07.2006 मि0नं0 26/2006 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 सपठित 90ए भू–राजस्व अधिनियम के विरूद्व दिनांक 23.02.2012 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है । यह अपील विलम्ब से पेश की गई है, विलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध में केवल पटवारी के द्वारा कहने पर प्रथम जानकारी दिनांक 18.1.2012 को होना बताया है जो ठोस आधार नहीं है । प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है ।

6. अपीलांट को ग्राम मवासा के खसरा नम्बर 133 रकबा 0.74 हे0 भूमि अपीलांट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज भूमि पर दौराने गैर खातेदारी के ही अपीलांट ने उक्त भूमि पर कृषि कार्य न करके ईंट भट्टा स्थापित कर लिया, अर्थात कृषि के उपयोग में नहीं लेकर अकृषि कार्य के लिए उपयोग में ली जाने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा धारा 91 सपठित धारा 90 ए के तहत अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2006 से सिवायचक दर्ज कर दिया गया । वकील अपीलांट द्वारा अपील के

जिला कलेक्टर
कोटा

समर्थन में काश्त करने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है तथा यह भी साबित करने में असमर्थ रहे है कि यह भूमि गैर खातेदारी में कैसे दर्ज दर्ज हुई, आवंटन अथवा अन्य किस माध्यम से गैर खातेदारी दर्ज हुई ? साथ ही तहसीलदार लाडपुरा का निर्णय दिनांक 10.7.2006 की अपील 23.02.2012 को लगभग 6 वर्ष बाद पेश की गई है, जो मियाद बाहर है । यह भूमि अपीलांट के हक में गैर खातेदार में दर्ज होने से लेकर सिवायचक होने तक फसल काश्त करने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है । अपीलांट गैर खातेदार द्वारा शर्तो की पालना नहीं करने पर तथा कृषि से अकृषि के उपयोग में लेने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा धारा 90 ए के तहत कार्यवाही करते हुए भूमि सिवायचक दर्ज की गई है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

7. उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अपीलांट द्वारा फसल काश्त करने सम्बन्धी रिकॉर्ड पेश नहीं करने, गैर खातेदारी की कृषि भूमि को अकृषि के उपयोग में लेने, तथा लगभग 6 वर्ष मियाद बाहर अपील पेश करने से अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.7.2006 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा